

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/831/

जबलपुर, दिनांक 18/03/2016

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्रलेखक के पद पर वेतनमान रूपये 9300—34800 + ग्रेड पे रु. 3600/- पर नियमानुसार समय—समय पर देय भत्तों सहित परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई स्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :—

क्र.	नाम	पदस्थापना का नाम
1.	कु शरणजीत कौर जस्सल आत्मजा श्री सुखदेव सिंह जस्सल	मुख्यपीठ जबलपुर
2.	श्री ऋषि कटारे आत्मज श्री जगदीश प्रसाद कटारे	खंडपीठ इंदौर
3.	श्री आशुतोष सिंह आत्मज श्री मेवा लाल सिंह	खंडपीठ ग्वालियर
4.	कु वर्षा सिंह आत्मज श्री वीर नारायण सिंह	मुख्यपीठ जबलपुर
5.	श्री विदेश रैकवार आत्मज श्री छोटेलाल रैकवार	खंडपीठ इंदौर
6.	श्री अमन तिवारी आत्मज श्री प्रमोद तिवारी	खंडपीठ ग्वालियर
7.	श्रीमती श्रीविघा पति श्री अमित कुमार मांडवी	मुख्यपीठ जबलपुर
8.	श्री अमित कुमार आत्मज श्री राम करण सिंह	खंडपीठ इंदौर
9.	श्री अर्पित सोनी आत्मज स्व. श्री गणेश सोनी	खंडपीठ ग्वालियर
10.	कु वर्षा दुबे आत्मजा श्री भगवत प्रसाद दुबे	मुख्यपीठ जबलपुर
11.	श्री राहुल सिंह परिहार आत्मज श्री अमर सिंह परिहार	खंडपीठ ग्वालियर
12.	कु वर्षा चौरसिया आत्मजा श्री ओम प्रकाश चौरसिया	मुख्यपीठ जबलपुर
13.	श्री आलोक कुमार आत्मज श्री बमबम प्रसाद सिंह	खंडपीठ ग्वालियर
14.	श्री राशिद खान आत्मज श्री मुहीद खान	मुख्यपीठ जबलपुर
15.	श्री आशीष चौरसिया आत्मज श्री प्रकाश चौरसिया	खंडपीठ ग्वालियर
16.	कु रोशनी सिंह आत्मजा श्री राम राज सिंह	मुख्यपीठ जबलपुर
17.	कु प्रार्थना चौधरी आत्मजा श्री सुनील चौधरी	मुख्यपीठ जबलपुर

- यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।

180

3. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर या जिस खण्डपीठ में पदस्थापना की गई है, के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियों दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
4. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
5. यह कि दिनांक 01.01.2005 के पश्चात शासकीय सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ—९/३/२००३/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13—०४—२००५ के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
6. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण—पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
7. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तो के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
10. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
11. यह कि, आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण—पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरांत प्रमाण—पत्र फर्जी या कूटरचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण—पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

11/2

12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।
13. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्त मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हो, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
15. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार
सही/-
(मनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D / 832,

जबलपुर, दिनांक 18 / 03 / 2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रिसिंपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इंदौर/खण्डपीठ ग्वालियर (म.प्र.), की ओर इस आशय के साथ संप्रेषित कि वे उनकी खण्डपीठ में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उपरिवर्णित शर्तों का पालन अभ्यर्थी द्वारा कर लिया गया है। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् पुलिस प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित अनुप्रमाणन फार्म अभ्यर्थी से प्राप्त कर, संबंधित जिले से अभ्यर्थी का गोपनीय तौर पर चरित्र एवं पूर्व वृत का सत्यापन एवं जॉच कराने हेतु संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर सत्यापन पश्चात् सूचना इस रजिस्ट्री को भिजवाने हेतु तथा 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना तत्काल इस रजिस्ट्री को भिजवाने हेतु एवं नवनियुक्त शीघ्रलेखकों का वेतन निजी सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने हेतु,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./व्ही.एल./ (निरीक्षण एवं सतर्कता) /एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आईटी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर पदों को डी.डी.ओ.-रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001, खण्डपीठ इंदौर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1702103001 एवं खण्डपीठ ग्वालियर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1412103001 एम्प्लाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर / ग्वालियर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. अनुभाग अधिकारी स्था. / लेखा / बजट / न्यायिक / पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
13. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार न्यायिक / सतर्कता / (आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

// 4 //

14. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण/डी.पी.एफ. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. सहायक वेतन पत्रक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि नवनियुक्त शीघ्रलेखकों का वेतन निजी सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने हेतु
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
17. उपस्थिति लिपिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
18. Ku. Sharanjeet Kaur Jassal D/o Shri Sukhdeo Singh Jassal, H.No. 1023, Behind Gurudwara, Ranjhi, Jabalpur(M.P.)-482005,
19. Shri Rishi Katare S/o Shri Jagdish Prasad Katare, 98, F-1, Janki Nagar Baldeobagh, Jabalpur(M.P.)-482002,
20. Shri Ashutosh Singh S/o Shri Meva Lal Singh, 63/28C/1, Beli Colony, Stainly Road, Allahabad(U.P.)-211002,
21. Ku. Varsha Singh D/o Shri Veer Narayan Singh, H.No. 3088, Near Kishan Hotel, VFJ Road, Purani Basti, Ranjhi, Jabalpur(M.P.)-482005,
22. Shri Vindesh Raikwar S/o Shri Chhotelal Raikwar, LIG 25, Bhukamp Colony, Dhanwantri Nagar, Jabalpur(M.P.)-482003,
23. Shri Aman Tiwari S/o Shri Pramod Tiwari, New Gaytri Nagar, Tansen Road, Gwalior(M.P.)-474002,
24. Smt. Sreevidya W/o Shri Amit Kumar Mandvi, D-100, Old Minal, Residency J.K. Road, Govindpura, Bhopal(M.P.)-462023,
25. Shri Amit Kumar S/o Shri Ram Karan Singh, Vill. & Post Nourojpur Gujar, Distt.- Baghpat(U.P.)-250601,
26. Shri Arpit Soni S/o Late Shri Ganesh Soni, 431, Sathiya Kunwa, Sarafa Ward, Jabalpur(M.P.)-482002,
27. Ku. Varsha Dubey D/o Shri Bhagwat Prasad Dubey, H.No. 437, Professor Colony, Karmeta, Jabalpur(M.P.)-482002,
28. Shri Rahul Singh Parihar S/o Shri Amar Singh Parihar, H. No. 191, Mayur Nagar, Thatipur, Gwalior(M.P.)-474011,
29. Ku. Varsha Chourasiya D/o Shri Om Prakash Chourasiya, 576, East Niwadganj, Mahatma Gandhi Ward, Jabalpur(M.P.),
30. Shri Alok Kumar S/o Shri Bambam Prasad Singh, H/N-29/1, Neelam Saoan, Hanuman Nagar, New Punaichak, Distt.-Patna, State-Bihar-800023,
31. Shri Rashid Khan S/o Shri Muheed Khan, Quarter No. 12/1, R.K. Puri, Thatipur Colony, Gwalior(M.P.)-474011,
32. Shri Ashish Chaurasia S/o Shri Prakash Chaurasia, H. No. 2/21, New Colony, Birla Nagar, Gwalior(M.P.),
33. Ku. Roshni Singh D/o Shri Ram Raj Singh, H.N. 779/10 A.R., Behind Cherital, Kanya Shala School, Jabalpur(M.P.)-482002
34. Ku. Prarthana Choudhary D/o Shri Sunil Choudhary, Nadi Moholla, Narsingh Ward, Gadarwara, Distt.- Narsinghpur(M.P.)-487551,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

18/3/2016
(यू. एस. दुबे)
रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस.
18/3/2016